राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक :–प.3(212)नविवि/नियम/2011 जयपुर दिनांक 18 AUG 2020

सचिव,
जयपुर/जोधपुर/अजमेर
विकास प्राधिकरण।

सचिव,
नगर विकास न्यास,
अलवर, बीकानेर, भरतपुर, भीलवाडा, कोटा, उदयपुर,
श्रीगंगानगर, भिवाडी, आबू, चित्तौडगढ़, जैसलमेर,
बाडमेर, सीकर, पाली, सवाईमाधोपुर।

विषय :– निर्माण स्वीकृति, पट्टा–विलेख/लीज डीड जारी करना, नाम हस्तान्तरण, उपविभाजन/पुनर्गठन, भू–उपयोग परिवर्तन आदि से संबंधित प्रकरणों के संबंध में।

महोदय,

कोविड–19 के मद्देनजर आम जन को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से भवन निर्माण स्वीकृति, पट्टा–विलेख/लीज डीड जारी करना, नाम हस्तान्तरण, उपविभाजन/पुनर्गठन, भू–उपयोग परिवर्तन आदि प्रकरणों में राशि जमा कराने हेतु जारी किये गये मांग पत्र के अनुसार राशि जमा कराने की समय सीमा दिनांक 15.03.2020 एवं इसके पश्चात् होने पर राशि जमा कराने की अवधि 30.06.2020 तक किये जाने की छूट विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 01.05.2020 द्वारा प्रदान की गई थी जिसे समसंख्यक आदेश दिनांक 28.07.2020 द्वारा 31.12.2020 तक बढाया गया है।

विभाग के ध्यान में लाया गया है कि उक्त अवधि बढाये जाने के बावजूद भी संबंधित निकायों द्वारा ऐसे प्रकरणों में वांछित कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिससे संबंधित आवेदकों को परेशानी का सामना करना पड रहा है।

अतः निर्माण स्वीकृति, पट्टा–विलेख/लीज डीड जारी करना, नाम हस्तान्तरण, उपविभाजन/पुनर्गठन, भू–उपयोग परिवर्तन आदि से संबंधित प्रकरणों में मांग पत्र की समय अवधि दिनांक 15.03.2020 एवं इसके पश्चात् की है, उनमें दिनांक 31.12.2020 तक उपरोक्तानुसार बिना किसी ब्याज व शास्ति के राशि जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।

उदाहरणार्थः– यदि मांग पत्रानुसार राशि जमा कराने की अन्तिम तिथि 20.03.2020 निर्धारित थी तो वह राशि दिनांक 31.12.2020 तक बिना ब्याज व शास्ति के जमा करायी जा सकेगी।

भवदीय

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

Scanned with CamScanner

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग जयपुर।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नविवि।
9. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

Scanned with CamScanner